वाद संख्या - 80/2023

बुधन प्रसाद ———————— प्रथम पक्ष

द० प्र० सं० 144

बनाम

पुरन महतो वगैरह ———————— द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हरताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4.08.23	आदेश यह वाद आवेदक बुधन प्रसाद पिता स्व0 पोखन महतो साकिन – घाघरा, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भं किया गया। प्रथम पक्ष के बुधन प्रसाद बनाम द्वितीय पक्ष पुरन महतो वगैरह को प्रश्नगत भुमि पर धारा – 144 दं0प्र0सं0 कि प्रक्रिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भुमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ ही उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भुमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग गई। प्रश्नगत भुमि का विवरण निम्न प्रकार है। मौजा – घाघरा, थाना – बगोदर, जिला – गिरिडीह के अन्तर्गत खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0 – 1222/1 रकबा – 90 डी0 चौहदी उ0 – जानकी महतो, दं0 – जेठु महतो वगैरह, पू0 – घनश्याम महतो, पं0 – पति महतो, प्रथम पक्ष के द्वारा बतलाया गया कि उक्त वादग्रस्त भुमि – मौजा – घाघरा, थाना – बगोदर जिला – गिरिडीह से बिहार भुदान यज्ञ कमिटी एवं जिला भुदान कार्यालय गिरिडीह से दिनांक 18/07/1958 को रुकमनी देवी पति पोखन महतो के नाम पर हासिल है। जिसपर विपक्षी के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर जे0 सी0 बी0 मशीन से ~~निब कि~~ नीव की खुदाई कर रहें है जिसको लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने कथन के समर्थन में बिहार भुदान यज्ञ कमिटी के पर्चा कि छायाप्रति, ऑनलाईन मालगुजारी रसीद कि छायाप्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि वादग्रस्त जमीन हुकुमनामा से मेरे पूर्वज दिपन महतो वगैरह को हासिल है जो मौजा – घाघरा के अंतर्गत खाता नं0 – 64, प्लॉट नं0 – 1211, रकबा – 1 एकड 5 डी0 एवं प्लॉट नं0 – 1222 रकबा – 2 एकड 17 डी0 कुल रकबा – 3 एकड 22 डी0 हासिल है जिसमें वादग्रस्त प्लॉट	

न0 – 1222 रकबा – 2 एकड 17 डी0 जिसकी चौहदी उ0 – जंगल, दं0 – नीज, पु0 – पानो महतो, पं0 – जंगल दर्ज है जिसपर द्वितीय पक्ष दखलकार चले आ रहें हैं जिसकी जमाबंदी चालु पंजी – *II* भाग संख्या – 3 पेज नं0 – 83, से द्वितीय पक्ष के पूर्वज टिपन महतो के नाम पर जमाबंदी कायम है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा कि छायाप्रति, ऑनलाईन मालगुजारी रसीद संख्या – 0750488924 वर्ष 2023–24 कि छायाप्रति, ऑनलाईन पंजी *II* कि छायाप्रति दाखिल किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों अंचल अधिकारी बगोदर के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन करने वो उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट होता है कि यह मामला भूमि के हक हकियत से संबंधित है। चुकि वाद कि कार्यवाही धारा – 144 दं0प्र0सं0 के तहत शाति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ किया गया है।

अतः वाद कि कार्यवाई समाप्त कि जाती है।

लेखापित।

14/08/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

14/08/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.08.24 12:18:25 +05:30
Location: 192.168.1.12